न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडाजिला चित्तौड़गढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या–150 / 2024 प्रार्थना पत्र

GCMS No. -2024 / 553

1. श्री मदनलाल पुत्र नानुराम धाकड निवासी उंखलिया।

...प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– प्रार्थी संख्या 1 –स्वयं उपस्थित

2– पेरोकार सरकार –स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक :–06.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ऊंखलिया पटवाकर मण्डल ऊंखलिया तहसील–निम्बाहेड़ा की सेटेशन जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 के खाता संख्या 315 में आ.न. 1349 रकबा 0.64 किस्म चाही 3 लगान 12.16 व आ.न. 1516 रकबा 0.19 किस्म चाही 3 लगान 3.61 कुल किता 2 रकबा 0.83 लगान 15.77 खातेदार श्री मदनलाल पिता नानुराम जाति धाकड़ सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रेकॉर्ड है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तु कर निवेदन किया कि हम दो खातेदार श्री मदनलाल / नानुराम धाकड़ सा. देह है ओर हम दोनों भिन्न व्यक्ति है जिनमे से एक के नाम पर आ.न. 1516 रकबा 0.19 जो कि मदनलाल पिता नानुराम पोत्र प्रेमचन्द ना.बा.स.प. सरयु बेवा प्रेमचन्द सा. देह से खरीदी है जिसका सा.आ.न. 111 था व इसी प्रकार आ.न. 1349 रकबा 0.64 जो कि मदनलाल पिता नानुराम पौत्र पन्नालाल धाकड़ सा. देह के नाम से ना. सं. 806, 810, 815 से क्रय कि। हम दोनों भिन्न व्यक्ति है एवं दोनों के नाम व पिता के नाम व जाति एक ही है हम दोनों का निवास ग्राम भी एक ही है अतः सहवन से खाता एक ही हो गया अतः दोनों आराजीयात 1349 व 1516 को भिन्न–2 खाते में दर्ज किया जावे ताकी हमे असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम दोनों खातेदार सहमत है व हमे कोई ऐतराज नही हैं।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की और निवेदन किया कि राजस्व ग्राम ऊंखलिया में दर्ज खाता नं. 315 के आ.न. 1349 रकबा 0.64 हैक्ट. व आ.न. 1516 रकबा 0.19 के दस्तावेज का अध्ययन किया गया जो जाहरि पाया की मदनलाल पिता नानुराम धाकड़ सा. देह दो भिन्न व्यक्ति है व [illegible] उक्त 1349 भिन्न–2 रूप में कब्जे काश्त है दोनों खातेदारों के नाम पिता का नाम [illegible] व का नाम समान होने के कारण खातेदारों के दादाजी [illegible] अतः 1349 रकबा 0.64 हैक्ट. मदनलाल पिता नानुराम पिता पन्नालाल धाकड़ व आराजी नम्बर 1516 [illegible] 0.19 हैक्ट. मदनलाल पिता नानुराम पिता लक्ष्मण धाकड़ के नाम करने हेतु प्र[illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:28 IST
Reason: SelfAttested

4. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

5. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties***

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन सेस्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

5. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि राजस्व ग्राम ऊंखलिया में दर्ज खाता नं. 315 के आ.न. 1349 रकबा 0.64 हैक्ट. व आ.न. 1516 रकबा 0.19 के दस्तावेज का अध्ययन किया गया जो जाहरि पाया की मदनलाल पिता नानुराम धाकड़ सा. देह दो भिन्न व्यक्ति है व दोनों के पास उक्त 1516 व 1349 भिन्न–2 रूप में कब्जे काश्त है दोनों खातेदारों के नाम पिता का नाम पत्नि व गांव का नाम समान होने के कारण खातेदारों के दादाजी का नाम लगाना ही उचित है। अतः 1349 रकबा 0.64 हैक्ट. मदनलाल पिता नानुराम पिता पन्नालाल धाकड़ एवं आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.19 हैक्ट. मदनलाल पिता नानुराम पिता लक्ष्मण धाकड़ के नाम वर्तमान जमाबन्दी में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि कि राजस्व ग्राम ऊंखलिया में दर्ज खाता नं. 315 के आराजी नम्बर 1349 रकबा 0.64 हैक्टेयर भूमि एवं आराजी नम्बर 1516 रकबा 0.19 हैक्टेयर भूमि में मदनलाल पिता नानुराम पिता लक्ष्मण धाकड़ सा. देह के नाम तरमीम किए [illegible] आदेशित दिये जाते है तथा निम्नानुसार संशोधन के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावे। यह रिपोर्ट इस निर्णय का अभिन्न रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 16:00:28 IST
Reason: SelfAttested

7. निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा